न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : **सत्यनारायण (आर0ए0एस0)**

प्रकरण संख्या – 91/2022

अनवान : –

1. जगदीश पुत्र मनीराम जाति जाट निवासी कानसर तहसील नोहर।

–प्रार्थी

बनाम्

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार (राजस्व) नोहर।

– अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र रिकार्ड दुरस्ती
अन्तर्गत धारा 136 लैण्डरैवेन्यू एक्ट

उपस्थिति :– श्री नरेन्द्र किशोर जोशी अधिवक्ता **प्रार्थी**
राजपेरोकार

निर्णय दिनांकः 16/10/23

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि प्रार्थी ने जरिये अधिवक्ता यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल.आर.एक्ट. के तहत इस आशय का पेश किया की रोही मौजा कानसर तहसील नोहर के खाता स0 187/174 की कुल 2.31400है0 भूमि प्रार्थी के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज है।

उक्त भूमि में प्रार्थी का नाम जगुराम पुत्र मनीराम है जबकि प्रार्थी का सही एवं वास्तविक नाम जगदीश पुत्र मनीराम है जो प्रार्थी के सभी दस्तावेजों यथा आधारकार्ड, जनआधार कार्ड, पहचान पत्र, बैंक पासबुक, पैनकार्ड आदि में दर्ज है। इस प्रकार राजस्व रिकार्ड में नाम गलत दर्ज होने से प्रार्थी अपने हक हिस्सा की भुमि का सही प्रकार से उपयोग उपभोग नही कर पा रहे है। प्रार्थी ने अप्रार्थी को काफी मर्तबा कहा की प्रार्थी का सही नाम कर देवे जिस पर अप्रार्थी कुछ दिन तो आजकल आजकल करता रहा आखिरकार इन्कार हो गया इसलिए यह प्रार्थना पत्र पेश किया गया है। प्रार्थी राजस्व रिकार्ड में अपना सही नाम जगदीश पुत्र मनीराम दुरूस्त करवा पाने का कानूनी अधिकारी है।

प्रार्थना पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिये सम्मन तलब किया गया। तहसीलदार नोहर द्वारा अपने पत्रांक 2022 दिनांक 16.02.2023 द्वारा रिपोर्ट इस आशय की प्रेषित की गई कि जगदीश व जगुराम दोनों एक ही व्यक्ति के नाम है अतः राजस्व रिकार्ड में जगुराम के नाम पर जगदीश नाम किया जाना उचित है।

बहस वकील प्रार्थी सुनी गई। दौराने बहस वकील प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि प्रार्थी का सही नाम जगदीश पुत्र मनीराम है जबकि राजस्व रिकार्ड में प्रार्थी का नाम जगुराम पुत्र मनीराम दर्ज [illegible] गया जिससे प्रार्थी को विभिन्न प्रकार की परेशानीयों का सामना करना पड़ता है। अतः मुताबिक प्रार्थी के दस्तावेजों के आधार पर राजस्व रिकार्ड में सही नाम जगदीश पुत्र मनीराम दर्ज कर रिकार्ड दुरूस्त किये जाने [illegible] निवेदन किया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2023.12.26 15:03:49 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

हमारे द्वारा अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में प्रार्थी ने रोही मौजा कानसर तहसील नोहर के खाता स0 187/174 की कुल 2.31400है0 भूमि प्रार्थी के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज है, जिसमें प्रार्थी अपना नाम जगुराम पुत्र मनीराम के स्थान पर जगदीश पुत्र मनीराम दर्ज करवाना चाहता है। पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजात यथा आधारकार्ड, जनआधार कार्ड, पहचान पत्र, बैंक पासबुक, पैनकार्ड आदि में सही नाम जगदीश पुत्र मनीराम अंकित है। तहसीलदार नोहर, भू0अ0 निरीक्षक, पटवारी हल्का द्वारा प्राप्त रिपोर्ट में भी प्रार्थी का नाम सही करने हेतु अभिशंषा की गई है। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत जमाबंदी खाता संख्या 394 व 395 में प्रार्थी का नाम जगदीश पुत्र मनीराम जाति जाट निवासी कानसर दर्ज है। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों एवं तहसीलदार राजस्व नोहर की रिपोर्ट के आधार पर प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार योग्य है।

अतः पटवारी, गिरदावर व तहसीलदार नोहर की रिपोट एवं प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों के आधार पर प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एलआरएक्ट स्वीकार योग्य होने के कारण स्वीकार किया जाता है कि रोही मौजा कानसर तहसील नोहर के खाता स0 187/174 की कुल 2.31400है0 भूमि प्रार्थी के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज है, में **प्रार्थी जगुराम पुत्र मनीराम के स्थान पर सही नाम जगदीश पुत्र मनीराम किया जाकर राजस्व रिकार्ड दुरूस्त किया जाता है।** यदि किसी किसी न्यायालय में कोई अपराधिक वाद या जांच जगुराम पुत्र मनीराम के नाम से विचाराधीन हो या किसी सरकारी संस्था का जगुराम पुत्र मनीराम के नाम से देय बकाया हो तो उसके लिए प्रार्थी का नाम जगुराम पुत्र मनीराम ही लागू होगा। अगर नाम संशोधन को लेकर कोई तथ्य छुपाया गया हो और निकट भविष्ट में प्रकट होता है तो प्रार्थी स्वयं जिम्मेदार होगा। तहसीलदार नोहर को निर्णय की प्रति प्रेषित कर पालना हेतु पृथक से लिखा जावें।

निर्णय आज दिनांक ...16/10/23... को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया पत्रावली फैसला शुमार होकर नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हों एवं उक्त निर्णय शामिल पत्रावली किया गया।

(सत्यनारायण R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर

Signature Not Verified

Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2023.12.26 15:03:49 IST
Reason: SelfAttested

राजस्थान सरकार

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, नोहर

पीठासीन अधिकारी : **सत्यनारायण (आर0ए0एस0) कैम्प :–सोनड़ी**

क्रमांक : सशोधन / 2023 / 1285

दिनांक : 25/10/2023

तहसीलदार,
नोहर।

विषय :– प्रकरण स0 91 / 2022 अनवानी जगदीश बनाम सरकार में पारित निर्णय की पालना करवाने के संबंध में।

अनवान : –
1. जगदीश पुत्र मनीराम जाति जाट निवासी कानसर तहसील नोहर।

–प्रार्थी

बनाम्

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार (राजस्व) नोहर।

– अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र बाबत दुरूस्ती अन्तर्गत धारा 136 भू–राजस्व अधिनियम 1956

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि प्रकरण में निर्णय पारित किया जाकर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर रोही मौजा कानसर तहसील नोहर के खाता स0 187 / 174 की कुल 2.31400है0 भूमि प्रार्थी के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज है, में **प्रार्थी जगुराम पुत्र मनीराम के स्थान पर सही नाम जगदीश पुत्र मनीराम किया जाकर राजस्व रिकार्ड दुरूस्त किया जाता है।** उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में संशोधन किया जाना सुनिश्चित करें। यदि किसी किसी न्यायालय में कोई अपराधिक वाद या जांच जगुराम पुत्र मनीराम के नाम से विचाराधीन हो या किसी सरकारी संस्था का जगुराम पुत्र मनीराम के नाम से देय बकाया हो तो उसके लिए प्रार्थी का नाम जगुराम पुत्र मनीराम ही लागू होगा। अगर नाम संशोधन को लेकर कोई तथ्य छुपाया गया हो और निकट भविष्ट में प्रकट होता है तो प्रार्थी स्वयं जिम्मेदार होगा।

(सत्यनारायण R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर

Signature Not Verified
Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2023.12.26 15:03:49 IST
Reason: SelfAttested